# उदयम पंजीकरण कराने के लाभ

भारत सरकार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड -3, उप-खंड (ii), दिनांक -26 जून, 2020 द्वारा निवेश और टर्नओवर दोनों को मिलाकर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के रूप में उद्यमों का वर्गीकरण करने हेतु एक सम्मिलित मानदंड अधिसूचित किया है जो 01 जुलाई, 2020 से प्रभावी है।

एमएसएमई की नई परिभाषा के अनुरूप और व्यवसाय करने में आसानी हेतु यह तंत्र एमएसएमई को एक स्थायी पंजीकरण यानी 'उद्यम पंजीकरण' की सुविधा प्रदान करेगा।

**मुख्य विशेषताएं:**

- कोई भी उद्यम के लिए उद्यम पंजीकरण प्राप्त कर सकता है। इसे पोर्टल के माध्यम से अर्थात् https://udyamregistration.gov.in/Government-India/MinistryregMSME-registration.htm पर पंजीकृत किया जा सकता है।
- उदयम पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और पेपरलेस है। किसी भी दस्तावेज़ को अपलोड करने की कोई आवश्यकता नहीं है।
- पंजीकरण प्रक्रिया पूरी तरह से निःशुल्क है। किसी भी व्यक्ति को कोई लागत या शुल्क का भुगतान नहीं करना है।
- पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी करने पर एक ई-प्रमाण पत्र, अर्थात् "उद्यम पंजीकरण प्रमाण पत्र" ऑनलाइन जारी किया जाएगा।
- इस सर्टिफिकेट में डायनेमिक क्यूआर कोड होता है, जिससे हमारे पोर्टल पर वेबपेज और उद्यम के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
- यदि कोई जान बूझकर गलत बयान देता है या स्व-घोषित तथ्यों और उदयम पंजीकरण या अपडेशन प्रक्रिया में भरे जाने वाले आंकड़ों को दबाने का प्रयास करता है वे अधिनियम की धारा 27 के तहत निर्दिष्ट दंड के भागीदार होंगे।
- यह ऑनलाइन प्रणाली आयकर और माल और सेवा कर पहचान संख्या (GSTIN) प्रणाली के साथ पूरी तरह से एकीकृत है, उद्यमों के निवेश और कारोबार के विवरण सरकारी डेटाबेस से स्वचालित रूप से ले लिया जाता है। टर्नओवर गणना के हिस्से के रूप में निर्यात (एक्सपोर्ट) को नहीं लिया जाता है।
- जिनके पास ईएम-द्वितीय या यूएएम पंजीकरण या एमएसएमई मंत्रालय के तहत किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया पंजीकरण है, उनको 31.03.2021 से पहले खुद को फिर से पंजीकृत करना होगा।
- कोई भी उद्यम एक से अधिक उद्यम पंजीकरण नहीं करेगा। हालाँकि एक ही पंजीकरण में, किसी भी संख्या में विनिर्माण या सेवा या दोनों तरह की गतिविधियाँ निर्दिष्ट या जोड़ी जा सकती हैं।

**पंजीकरण की आवश्यकता:**

- पंजीकरण के लिए केवल आधार नंबर ही काफी है।
- दिनांक - 01.04.2021 से पैन और जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है।

**पंजीकरण के लाभ:**

- एक उद्यम के लिए यह एक स्थायी पंजीकरण और बुनियादी पहचान संख्या होगी।
- एमएसएमई पंजीकरण पेपरलेस है और स्व-घोषणा पर आधारित है।
- पंजीकरण के नवीनीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी।
- एक पंजीकरण में विनिर्माण या सेवा या दोनों प्रकार की गतिविधियां कितनी भी संख्या में निर्दिष्ट या जोड़ी जा सकती हैं।
- उदयम पंजीकरण के साथ, उद्यम खुद को जेम GeM (गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, G से B के लिए एक पोर्टल) और समाधान पोर्टल (भुगतान में देरी से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने के लिए एक पोर्टल) पर पंजीकृत कर सकते हैं और इसके साथ-साथ एमएसएमई स्वयं को ट्रेड्स TReDS प्लेटफ़ॉर्म, (इस प्लेटफ़ॉर्म पर प्राप्तियों के चालान का कारोबार किया जाता है) पर भी निम्नलिखित तीन उपलब्ध प्लेटफार्मों के माध्यम से जुड़ सकते हैं अर्थात्
  1. www.invoicemart.com 2. www.m1xchange.com 3. www.rxil.in
- उद्यम पंजीकरण एमएसएमई मंत्रालय की योजनाओं जैसे क्रेडिट गारंटी योजना, सार्वजनिक खरीद नीति, सरकारी निविदा में प्राथमिकता और देरी से भुगतान के खिलाफ संरक्षण आदि का लाभ उठाने में एमएसएमई की मदद कर सकता है।
- बैंकों से प्राथमिकता क्षेत्र वाले ऋण देने के योग्य बनता है।

**प्राथमिकता क्षेत्र ऋण:**

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। आरबीआई ने प्राथमिकता क्षेत्र वाले ऋण पर परिपत्र सं.- RBI/FIDD/2020-21/72 Master Directions FIDD.CO.Plan.BC.5 / 04.09.01 / 2020-21 दिनांक- 04 सितंबर, 2020 के माध्यम से दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तदनुसार, प्राथमिकता क्षेत्र के तहत श्रेणियां हैं - (i) कृषि (ii) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (iii) निर्यात ऋण (iv) शिक्षा (v) आवास (vi) सामाजिक अवसंरचना (vii) नवीकरणीय ऊर्जा (viii) अन्य। इसलिए, एमएसएमई सेक्टर प्राथमिकता क्षेत्र ऋण के अंतर्गत आता है। आरबीआई के अनुसार, एमएसएमई की परिभाषा भारत सरकार (GOI), की गजट अधिसूचना एस.ओ. 2119 (ई) दिनांक - 26 जून, 2020 को परिपत्र RBI/ 2020-21/10 FIDD.MSME&NFS.BC.No.3/ 06.02.31/ 2020-21 तथा RBI/ 2020-21/10 FIDD.MSME &NFS.BC.No.4/ 06.02.31 /2020-21 क्रमशः दिनांक - 2 जुलाई, 2020, 21 अगस्त, 2020 के साथ पढ़ा जाए जो 'सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को क्रेडिट प्रवाह' से संबंधित है और समय-समय पर अद्यतन किया जाता है। इसके अलावा, ऐसे एम.एस.एम.ई. किसी भी तरीके से माल के निर्माण या उत्पादन में संलग्न होना चाहिए उद्योगों के लिए पहली अनुसूची में निर्दिष्ट कोई भी उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 या किसी सेवा या सेवाओं को प्रदान करने या प्रदान करने में लगा हुआ है।

एम.एस.एम.ई. के सभी बैंक ऋण, आरबीआई दिशा निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (PSL) के तहत वर्गीकृत किए जाने योग्य हैं।